

प्रेषक,

सेवा में

उपायुक्त, गुरुग्राम।

M/s Acreage Builders Private Limited,
10th Floor, Tower-B, Unitech Cyber Park,
Sector-39, Gurugram

क्रमांक 65 / एम0बी0

दिनांक 30/5/2023

विषय:-

1. Clarification on/No Objection Certificate regarding applicability of Forest Laws on Non-Forest Land i.e. land admeasuring approximately 7.15 acres situated at Sector 65, Golf Course Extension Road Village Nangli Umarpur and Tigra, Gurugram, Haryana ("Land" and
2. Non-applicability of Section 4 & 5 of Punjab Land Preservation Act (PLPA), 1900 And Aravali Notification 07.05.1992 on the said Land

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयाधीन मामले में उक्त के सम्बन्ध में नायब तहसीलदार, बादशाहपुर व उप वन संरक्षक, गुरुग्राम से रिपोर्ट प्राप्त की गई जो निम्न प्रकार है:-

नायब तहसीलदार, बादशाहपुर ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 132/आर0सी0 दिनांक 28.04.2023 के द्वारा रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रेषित की है जिसमें लिखा है कि पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार M/s Acreage Builders Private Limited, 10th Floor, Tower-B, Unitech Cyber Park, Sector-39, Gurugram के सन्दर्भ में मांगी गई मौजा नंगली उमरपुर, उप तहसील बादशाहपुर, जिला गुरुग्राम के मु0नं0 9 कीला नं0 8/2/2(3-7), 9(8-0), 10(7-0), 11(8-0), 12/1(5-6), 13/1/1(1-8), मु0नं0 10 कीला नम्बर 15(4-2) कीला 7 रकबा 37 कनाल 3 मरला की बिन्दुवार रिपोर्ट निम्न प्रकार है:-

1. प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नं0 दिनांक 07.05.1992 के नोटिफिकेशन अनुसार अरावली क्षेत्र में नहीं है।
2. दिनांक 07.05.1992 के नोटिफिकेशन से पूर्व व पश्चात मिसल हकीयत, चकबन्दी तक कभी भी अराजी मुतनाजा की किस्म गैर मुमकिन पहाड़, गैर मुमकिन राजा, गैर मुमकिन वीहड़, बजड़ वीहड़ या रुग्ण मुताबिक राजस्व रिकार्ड नहीं हैं।
3. दिनांक 07.05.1992 के नोटिफिकेशन से पूर्व अराजी भूमि की किस्म आबी है व उसके पश्चात जमाबन्दी साल 2012-13 तक किस्म आबी है व कीला नं0 10 / / 15(4-2) की किस्म चाही आबी है व जमाबन्दी साल 2017-18 में कीला नं0 10 / / 15(4-2) की किस्म चाही आबी है व 33 कनाल 1 मरला की किस्म बंजर जदीद है।
4. वर्णित प्रार्थना पत्र में दर्शाई गई अराजी मुतनाजा मिसल हकीयत, चकबन्दी ता हाल कभी भी शामिलता देह, पंचायत देह, नगरपालिका, नगर निगम की मलकियत नहीं रही है।
5. अराजी मुतनाजा का मुताबिक राजस्व रिकार्ड किसी माननीय न्यायालय में केस नहीं चल रहा है।
6. अराजी मुतनाजा SEZ(Special Economical Zone) का राजस्व रिकार्ड में कोई इन्द्राज दर्ज नहीं है।
7. प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नं पर धारा 4 व 6 व अवार्ड का खाना कैफियत में कोई इन्द्राज दर्ज नहीं है।
8. प्रार्थना पत्र में वर्णित मु0नं0 9 कीला नम्बर 8/2/2(3-7), 9(8-0), 10(7-0), 11(8-0), 12/1(5-6), 13/1/1(1-8), मु0नं0 10 कीला नम्बर 15(4-2) कीला 7 रकबा 37 कनाल 3 मरला की मलकियत बरुवे ईन्तकाल नं0 876-883 की रूह से M/s Acreage Builders Private Limited मालिक व काबिज है।

उप वन संरक्षक, गुरुग्राम ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 251-G दिनांक 08.05.2023 के द्वारा अवगत कराया है कि इस कार्यालय द्वारा ऑनलाईन दिनांक 01.05.2023 (M/s Acreage Builders Private Limited) को गांव नंगली उमरपुर, जिला गुरुग्राम के 4.644 एकड़ एरिया की फारेस्ट क्लेरिफिकेशन ऑनलाईन जारी की जा चुकी है। जिसकी छाया प्रति इस कार्यालय में प्रेषित की है जिसमें लिखा है कि Applicant Rishi Raj Authorised Signatory, M/s Acreage Builders Private Limited, having Rect. No./Killa No. 9/8/2/2(3-7), 9(8-0), 10(7-0), 11(8-0), 12/1(5-6), 13/1(1-8), 10/15(4-2) Total Land Measuring 4.644 (Acre) situated with in the revenue estate at Village Nangli Umarpur, Gurugram made a proposal to use this land for Commercial Complex. It is made clear that:-

- As per records available above said land is not part of notified Reserved Forest, protected Forest under Indian Forest Act, 1927 or any area closed under section 4 of Punjab Land Preservation Act 1900.
- It is clarified that by the Notification No. S.O 8/P.A 2/1900/S. 4/2013 dated 04-01-13 all Revenue Estate of Gurugram is notified u/s 4 of PLPA 1900 and S.O 81/PA.2/1900/S.3/2012 u/s 3 of PLPA 1900. The area is however not recorded as Forest in the Government record but felling of any tree is strictly prohibited without the permission of Divisional Forest officer, Gurugram.
- If approach is required from Protected Forest by the user agency, the clearance/ regularization under Forest Conservation Act 1980 will be required. Without prior clearance from Forest Department, the use of Forest land for approach road is strictly prohibited. M/s Acreage Builders Private Limited, whose land is located at Village/city Nangli Umarpur, District Gurugram must obtain clearance as applicable under Forest Conservation Act, 1980.
- As per the records available with the Forest Department Gurugram the area does not fall in areas where plantations were raised by the Forest Department under Aravali project.
- All other statutory clearances mandated under the Environment protection Act, 1986, as per the notification of Ministry of Environment and Forest, Government of India dated 07-05-1992 or any other Act/Order shall be obtained as applicable by the project proponents from the concerned authorities.
- The project proponent will not violate any Judicial Order/Direction issued by the Hon'ble Supreme Court/High Courts.
- It is clarified that the Hon'ble Supreme Court has issued various judgments dated 07-05-2002, 29-10-2002, 16-12-2002, 18-03-2004, 14-05-2008 etc. pertaining to Aravali region in Haryana, which should be complied with.
- It shall be the responsibility of user agency/applicant to get necessary clearances/ permissions under various Acts and Rules applicable if any, from the respective authorities/department.
- This certificate is not applicable in case of Environment Department notification dated 10.03.2016 for Screening Plant, and notification dated 11.05.2016 for Stone Crusher. Investor/Applicant has to take clearance from Environment Department in case of Screening Plant and Stone Crusher.

It is subject to the following conditions:

- Clarification Is Hereby Issued Subject To Above Mentioned Conditions

अतः नाथव तहसीलदार, बादशाहपुर व उप वन संरक्षक, गुरुग्राम की रिपोर्ट अनुसार आपको Village Nangli Umarpur, Tehsil Badshahpur, District Gurugram की उक्त वर्णित भूमि की Aravalli Clearance/Non Forest Land रिपोर्ट इस शर्त पर जारी की जाती है कि प्रार्थी/कम्पनी को दी गई एनओसी में यदि किसी नम्बरों पर हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग द्वारा किसी प्रकार की भूमि अर्जन कार्यवाही धारा 4, 6 व अवार्ड आदि राजस्व रिकार्ड अनुसार पाया गया तो सम्बन्धित नम्बरों की अरावली एनओसी स्वतः रद्द समझी जावेगी जिसके लिए प्रार्थी/कम्पनी स्वयं जिम्मेवार होगी।

कृते: उपोयुक्त, गुरुग्राम

प्रेषक,

उपायुक्त, गुरुग्राम।

सेवा में

M/s Acreage Builders Private Limited,
10th Floor, Tower-B, Unitech Cyber Park,
Sector-39, Gurugram

क्रमांक 66

/एमओबीओ

दिनांक 30/5/2023

विषय:-

1. Clarification on/No Objection Certificate regarding applicability of Forest Laws on Non-Forest Land i.e. land admeasuring approximately 7.15 acres situated at Sector 65, Golf Course Extension Road Village nangli Umarpur and Tigra, Gurugram, Haryana ("Land" and
2. Non-applicability of Section 4 & 5 of Punjab Land Preservation Act (PLPA), 1900 And Aravali Notification 07.05.1992 on the said Land

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयाधीन मामले में उक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार, वजीराबाद व उप वन संरक्षक, गुरुग्राम से रिपोर्ट प्राप्त की गई जो निम्न प्रकार है:-

तहसीलदार, वजीराबाद ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 190/रीडर दिनांक 01.05.2023 के द्वारा रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रेषित की है जिसमें लिखा है कि संदर्भित बिन्दुओं वारे पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की गई। रिपोर्ट अनुसार मौजा तिगरा, तहसील वजीराबाद, जिला गुरुग्राम के खसरा नम्बर/कीला नं० 36/1/2/2(0-9), 1/1/2/3(2-19), 2/2(4-15), 9(3-15), 10/1(3-8), 11/2(1-14) कीता 6 रकबा 17 कनाल 0 मरला के राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया अवलोकन उपरान्त मांगी गई रिपोर्ट बिन्दुवार निम्न प्रकार है:-

1. उपरोक्त अराजी भूमि मुतनाजा की 07.05.1992 के नोटिफिकेशन के अनुसार जमाबन्दी में अरावली क्षेत्र में होने का कोई इन्द्राज दर्ज नहीं है।
2. उपरोक्त अराजी नोटिफिकेशन से पूर्व व उसके पश्चात उपरोक्त अराजी पर किस्म गैर मुमकिन पहाड - गैर मुमकिन राडा, गैर मु० बीहड, वंजर या रुद्र का इन्द्राज जमाबन्दी में दर्ज नहीं है।
3. बिन्दु नं० 3 में उपरोक्त अराजी नोटिफिकेशन 07.05.1992 से पूर्व व पश्चात भूमि की किस्म आबी मगदा दर्ज है व हाल किस्म गैर मु० दर्ज है।
4. प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान पर मिसल हकीयत ता हाल कमी भी शामिल देह/पचायत देह, नगरपालिका, नगरनिगम की मलकीयत नहीं रही है।
5. उपरोक्त अराजी भूमि पर किसी न्यायालय में कोई केस का जमाबन्दी के खाना कैफियत में कोई इन्द्राज दर्ज नहीं है।
6. अराजी मुतनाजा SEZ(Special Economical Zone) होने का इन्द्राज जमाबन्दी के खाना कैफियत में दर्ज नहीं है।
7. उपरोक्त अराजी पर धारा 4-6 व अवार्ड होने का कोई इन्द्राज जमाबन्दी के खाना कैफियत में दर्ज नहीं है।
8. उपरोक्त अराजी की मलकीयत हाल जमाबन्दी अनुसार M/s Acreage Builders Private Limited, 10th Floor, Tower-B, Unitech Cyber Park, Sector-39, Gurugram के नाम दर्ज है।

उप वन संरक्षक, गुरुग्राम ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 251-G दिनांक 08.05.2023 के द्वारा अवगत कराया है कि इस कार्यालय द्वारा ऑनलाईन दिनांक 01.05.2023 (M/s Acreage Builders Private Limited) को गांव तिगरा, जिला गुरुग्राम के 2.125 एकड़ एरिया की फारेस्ट क्लेरिफिकेशन ऑनलाईन जारी की जा चुकी है। जिसकी छाया प्रति इस कार्यालय में प्रेषित की है

जिसमें लिखा है कि Applicant Rishi Raj Authorised Signatory, M/s Acreage Builders Private Limited, having Rect. No./Killa No. 36//1/2/2(0-9), 1/1/2/3(2-19), 2/2(4-15), 9(3-15), 10/1(3-8), 11/2(1-14) Total Land Measuring 2.125 (Acre) situated with in the revenue estate at Village Tigra, Gurugram made a proposal to use this land for Commercial Complex. It is made clear that:-

- A) As per records available above said land is not part of notified Reserved Forest, protected Forest under Indian Forest Act, 1927 or any area closed under section 4 of Punjab Land Preservation Act 1900.
- B) It is clarified that by the Notification No. S.O 8/P.A 2/1900/S. 4/2013 dated 04-01-13 all Revenue Estate of Gurugram is notified u/s 4 of PLPA 1900 and S.O 81/PA.2/1900/S.3/2012 u/s 3 of PLPA 1900. The area is however not recorded as Forest in the Government record but felling of any tree is strictly prohibited without the permission of Divisional Forest officer, Gurugram.
- C) If approach is required from Protected Forest by the user agency, the clearance/ regularization under Forest Conservation Act 1980 will be required. Without prior clearance from Forest Department, the use of Forest land for approach road is strictly prohibited. **M/s Acreage Builders Private Limited**, whose land is located at **Village/city Tigra, District Gurugram** must obtain clearance as applicable under Forest Conservation Act. 1980.
- D) As per the records available with the Forest Department Gurugram the area does not fall in areas where plantations were raised by the Forest Department under Aravali project.
- E) All other statutory clearances mandated under the Environment protection Act. 1986, as per the notification of Ministry of Environment and Forest, Government of India dated 07-05-1992 or any other Act/Order shall be obtained as applicable by the project proponents from the concerned authorities.
- F) The project proponent will not violate any Judicial Order/Direction issued by the Hon'ble Supreme Court/High Courts.
- G) It is clarified that the Hon'ble Supreme Court has issued various judgments dated 07-05-2002, 29-10-2002, 16-12-2002, 18-03-2004, 14-05-2008 etc. pertaining to Aravali region in Haryana, which should be complied with.
- H) It shall be the responsibility of user agency/applicant to get necessary clearances/ permissions under various Acts and Rules applicable if any, from the respective authorities/department.
- I) This certificate is not applicable in case of Environment Department notification dated 10.03.2016 for Screening Plant, and notification dated 11.05.2016 for Stone Crusher. Investor/Applicant has to take clearance from Environment Department in case of Screening Plant and Stone Crusher.

It is subject to the following conditions:

1. Clarification Is Hereby Issued Subject To Above Mentioned Conditions

अतः तहसीलदार, वजीराबाद व उप वन संरक्षक, गुरुग्राम की रिपोर्ट अनुसार आपको Village Tigra, Tehsil Wazirabad, District Gurugram की उक्त वर्णित भूमि की Aravalli Clearance/Non Forest Land रिपोर्ट इस शर्त पर जारी की जाती है कि प्रार्थी/कम्पनी को दी गई एन0ओ0सी में यदि किसी नम्बरों पर हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग द्वारा किसी प्रकार की भूमि अर्जन कार्यवाही धारा 4, 6 व अवार्ड आदि राजस्व रिकार्ड अनुसार पाया गया तो सम्बन्धित नम्बरों की अरावली एन0ओ0सी0 स्वतः रद्द समझी जावेगी जिसके लिए प्रार्थी/कम्पनी स्वयं जिम्मेवार होगी।

कृते उपायुक्त, गुरुग्राम